भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3278
सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईपीएफओ के सेवानिवृत्त सदस्यों को पेंशन संबंधी लाभ

3278. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा ईपीएफओ के सेवानिवृत्त सदस्यों को पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पदाधिकारियों को किसी मैनुअल के माध्यम से पेंशन दावों के निपटान संबंधी प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु कोई व्यापक दिशानिर्देश दिए हैं; और

(ग) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना के अंतर्गत अनुमेय राहत/लाभ की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): ईपीएस 95 में विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं को शामिल करते हुए व्यापक लाभ प्रदान किया जाता है, जो सदस्यों और उनके परिवारों की वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

इसके अलावा, ईपीएफओ ने सेवानिवृत्ति के दिन ईपीएस, 1995 के सदस्यों को पीपीओ सौंपने के उद्देश्य से प्रयास नामक एक पहल शुरू की है।

निधि आपके निकट (एनएएन) 2.0 कार्यक्रम के तहत पूरे देश में जिला स्तर पर हर महीने एक मासिक पहल की जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से हितधारकों को योजना के लाभों के बारे में बताया जाता है।

(ख): जी, हां। ईपीएस, 1995 से संबंधित एक अद्यतित मैनुअल और ईडीएलआई, 1976 से संबंधित एक अद्यतित मैनुअल का विमोचन माननीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा दिनांक 15.11.2024 को किया गया। दिनांक 30.11.2024 को आयोजित सीबीटी की 236वीं बैठक में इनका अनुसमर्थन/पुष्टि की गई। अद्यतन किए गए मैनुअलों से फील्ड कार्यालयों को संरचित तरीके से अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन करने में सहायता मिलेगी।

(ग): दिनांक 28-04-2024 से 2.5 लाख रुपये का न्यूनतम आश्वासन लाभ और 7 लाख रुपये का अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ईडीएलआई योजना 1976 के तहत राहत लाभ को दिनांक 18.11.2024 के जीएसआर 715 (अ) के माध्यम से और आगे बढ़ा दिया गया है।

*****